



2026:AHC:127672

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या-

5120 सन् 2026

रुबी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदिका के अधिवक्ता

:

अमित राय

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 47

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित राय तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदिका द्वारा बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत, थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर में धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 200 सन् 2026 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका के कारण प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त/आवेदिका निर्दोष है तथा उसे उक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान अभियुक्त/आवेदिका के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है और उसका नाम केवल सह-अभियुक्त के कथन के आधार पर प्रकाश में आया है। अभियुक्त/आवेदिका का कोई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका विवेचना तथा विचारण में सहयोग करने का वचन देती है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदिका की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।
5. अग्रिम जमानत की सीमा और परिधि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन महत्वपूर्ण निर्णयों में स्पष्ट की गई है, अर्थात् **गुरुबकश सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य, जो (1980) 2 एस.सी.सी. 565 में प्रतिवेदित है; सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, जो (2011) 1 एस.सी.सी. 694 में प्रतिवेदित है; तथा सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, जो (2020) 5 एस.सी.सी. 1 में प्रतिवेदित है**। इन निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरंतर यह प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करते समय न्यायालय को आवेदक के आवेदन पर विचार करते हुए गिरफ्तारी के खतरे अथवा आशंका का मूल्यांकन आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त के आपराधिक पूर्ववृत्त, झूठे अथवा अतिरंजित आरोप, अभिरक्षात्मक पूछताछ की आवश्यकता, विवेचना एवं विचारण में सहयोग करने की अभियुक्त की इच्छा, अभियुक्त के आचरण तथा उसके फरार होने के जोखिम के संदर्भ में करना चाहिए।
6. आरोप की गंभीरता, मामले में गिरफ्तारी की आशंका, इसके विपरीत अभियुक्त के कम फरार होने के जोखिम तथा विवेचना और विचारण में सहयोग करने के उसके आश्वासन पर विचार करते हुए यह न्यायालय अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना उचित समझता है।
7. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त **आवेदिका रुबी** इस आदेश की तिथि से तीस दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, विचारण न्यायालय अथवा विवेचक के समक्ष उपस्थित होगी और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए ₹25,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा की जाएगी:-

(i) आवेदिका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदिका अभियोजन पक्ष के गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगी और न ही उन्हें डराएगी-धमकाएगी।

(iii) आवेदिका विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित अवसरों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगी: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय किए जाने तथा (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत कथन दर्ज किए जाने की तिथियों पर।

(iv) आवेदिका एक शपथपत्र दाखिल करेगी कि जब गवाह साक्ष्य के लिए विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, तब निर्धारित तिथियों पर वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगी।

(v) आवेदिका प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपनी अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगी।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल वर्तमान जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और किसी भी प्रकार से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझी जाएगी। विचारण न्यायालय प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा और इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित नहीं होगा।

(तरुण सक्सेना, न्यायमूर्ति)

16 जून, 2026

एस.एफ.एच.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।